

आरईएस प्रकरण : जांच ठंडी, तबादलों और शिकायतों की परतें गहराई

सिवनी नवभारत । सिवनी जिले के ग्रामीण यात्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले को नवभारत समाचार पत्र ने शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रमुखता से मामले को उठाया था। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद अब नवभारत ने ही इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत फॉलोअप करते हुए जांच की स्थिति, विभागीय कार्रवाई और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न सामने रखे हैं।

मामला ग्रामीण विकास से जुड़े निर्माण कार्यों का

इस मामले में जिस तरह की प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा देखने और सुनने को समाचार पत्र के माध्यम से जिस तरह से विभाग सुर्खियों में बना है। उससे जनप्रतिनिधियों में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्षों और कई सरपंचोंद्वारा पूर्व में लिखित शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। इन शिकायतों में विकास कार्यों के चयन, प्राथमिकता निर्धारण और क्रियान्वयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया था। जांच टीम का गठन, हुआ था लेकिन रिपोर्ट अब भी सार्वजनिक नहीं करना भी कहीं ना कहीं। टीम की भूमिका पर



सवाल खड़े हो रहे। शिकायतों के बाद राज्य स्तर पर जांच टीम गठित की गई थी। सूत्रों के अनुसार टीम ने विभागीय अभिलेख, तकनीकी स्वीकृतियां, एस्टीमेट, निर्माण स्थलों की भौतिक स्थिति और भूगतान से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की। कुछ स्थलों पर निरीक्षण भी किए गए। इसके बावजूद, कई माह बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। न तो जांच निष्कर्षों की आधिकारिक जानकारी साझा की गई और न ही किसी अधिकारी के विरुद्ध स्पष्ट दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा हुई।

जमे है बरगद की पेड़ की तरह

विभागीय सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि वर्ष 2015 में राजकुमार डेहरिया का तबादला बालाघाट किया गया था। इसके बाद उनका स्थानांतरण शिवपुरी हुआ। सूत्रों का दावा है कि दोनों स्थानों पर पदस्थापना के बाद वे पुनः सिवनी लौट आए। और एक ही जिले में बार-बार पदस्थापना को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा है। सवाल यह उठ



रहा है कि तबादला आदेशों में संशोधन किन परिस्थितियों में हुआ और क्या इसके पीछे कोई विशेष प्रशासनिक या तकनीकी कारण था। लंबे समय तक एक ही जिले में पदस्थ रहने से निगरानी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा चुनाव को प्रभावित मुख्य विषय माना जा रहा है और जिसके चलते

निष्पक्ष जांच की मांग

जनप्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि आरईएस जैसा महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण विकास योजनाओं का आधार है। यदि यहाँ तकनीकी और वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं होगी तो योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि स्वीकृत कार्यों की जानकारी और प्रगति रिपोर्ट स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से साझा नहीं की गई, जिससे निगरानी तंत्र कमजोर

हुआ। उनका कहना है कि यदि जांच पूरी हो चुकी है तो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, और यदि जांच लंबित है तो उसकी समयसीमा तय की जाए।

नवभारत द्वारा पक्ष जानने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। प्रशासन की चुप्पी ने इस मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है। जिसमें प्रमुख प्रश्न

जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? पूर्व शिकायतों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

बार-बार एक ही जिले में पदस्थापना का आधार क्या रहा? यदि आरोप निराधार हैं तो विभाग स्पष्ट खंडन क्यों नहीं करता? व्यापक प्रशासनिक विमर्श का विषयसिवनी आरईएस प्रकरण अब केवल स्थानीय स्तर का

मानचित्रकार राजकुमार डेहरिया पर आरोप

आरईएस में पदस्थ मानचित्रकार राजकुमार डेहरिया की भूमिका भी विवादों के केंद्र में है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ निर्माण कार्यों के एस्टीमेट वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। नक्शों और तकनीकी ड्राइंग में विसंगतियों तथा कार्यस्थल चयन में कथित गोलमाल की बात भी सामने आई है। जिसकी शिकायत जनपद सदस्य रामगोपाल जायसवाल द्वारा पूर्व में डेहरिया के खिलाफ लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत में यह उल्लेख किया गया था कि स्वीकृत कार्यों के दस्तावेज और जमीनी स्थिति में अंतर है तथा तकनीकी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। हालांकि इन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसका स्पष्ट विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया।



कार्यपालन यंत्री उपेंद्र मिश्रा की कार्यशैली भी चर्चा में

इस पूरे प्रकरण के बीच कार्यपालन यंत्री उपेंद्र मिश्रा की निर्णय प्रक्रिया और कार्यशैली भी सवालों में है। सूत्रों के अनुसार उनके कार्यकाल में विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की लागत काफी अधिक रही है। तकनीकी परीक्षण, स्वीकृति और भूगतान प्रक्रिया को लेकर भी आपत्तियां दर्ज की गई थीं। उनका स्थानांतरण आदेश न्यायालय से निरस्त होने के बाद विभागीय नियुक्तियों को लेकर बहस और तेज हुई। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक आरोपों और स्पष्टीकरण के बीच स्थिति अस्पष्ट बनी रहेगी।

विवाद नहीं रह गया है। यह मामला ग्रामीण विकास योजनाओं की पारदर्शिता, विभागीय जवाबदेही और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। नवभारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और अब फॉलोअप के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि जब तक जांच निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं होते और जिम्मेदारियों का निर्धारण नहीं होता, तब तक सवाल बने रहेंगे। ग्रामीण विकास के लिए आवंटित सार्वजनिक धन और तकनीकी प्रक्रियाओं की शुचित्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब देखा यह है कि संबंधित विभाग और राज्य प्रशासन इस मामले में कब और क्या ठोस कदम उठाते हैं।

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दिव्य स्तंभ का लोकार्पण

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जीवन सनातन परंपरा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव



सिवनी नवभारत । जिला मुख्यालय स्थित शंकराचार्य चौक पर ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के दिव्य स्तंभ का लोकार्पण समारोह श्रद्धा, आस्था एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वचुँअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का जीवंत और प्रेरक पृष्ठभूमि है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की जन्मभूमि सिवनी में उनके दिव्य स्तंभ की



स्थापना सौभाग्य का विषय है, जो आने वाली पीढ़ियों को सनातन मूल्यों और राष्ट्रधर्म के प्रति प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के विचारों, संस्कारों और आध्यात्मिक चेतना को केवल स्मरण तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाकर जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सनातन मूल्यों से प्रेरणा लेकर सुशासन की

दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजनाओं पर सरकार कार्य कर रही है। दिव्य स्तंभ के लोकार्पण अवसर पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने आदि शंकराचार्य के जीवन दर्शन, सनातन धर्म की परंपरा और ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज

के आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रधर्म के प्रति योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर श्री रामकृष्णानंद, ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद सहित अनेक संत-महात्मा उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विधायक दिनेश राय, डीआईजी राकेश सिंह, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण समारोह में शामिल हुए।

नवनीत सिंह ठाकुर को भाजपा जिला सिवनी मंडल उपाध्यक्ष पद का मिला दायित्व

छपरा नवभारत । 25 फरवरी को सिवनी भाजपा मंडल जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अनुशंसा पर अपने जिला कार्यकारिणी मंडल के अन्य

पदों को लेकर घोषणा की गई जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक ठाकुर सुमेर सिंह के पुत्र ठाकुर नवीन सिंह को उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया जिसे लेकर जिला सहित नगर एवं क्षेत्रीय वासियों में उत्साह का माहौल है नवनीत सिंह पूर्व में सिवनी जिला भाजपा युवमोर्चा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। शुभचिंतकों ने बधाईयां प्रेषित की हैं।



एसडीओपी पूजा पाण्डे के वाहन चालक को मिली जमानत

सिवनी नवभारत । पिछले वर्ष जिले में दर्ज बहुवर्चिंत हवाला प्रकरण में आरोपी एस.डी.ओ.पी. पूजा पाण्डे के वाहन चालक रितेश वर्मा को उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ ने जमानत प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर को थाना लखनवाड़ा में एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें एक हवाला कारोबारी से लगभग 2 करोड़ 96 लाख रुपये की कथित लूट का मामला सामने आया था. इस मामले में एस.डी.ओ.पी. पूजा

पाण्डे वाहन चालक रितेश वर्मा सहित कुल 11 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था. प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। यह पूरा मामला एफआईआर क्र. 473/2025 से संबंधित है, जो थाना लखनवाड़ा, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश) में दर्ज हुआ था. इस प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की 310(2), 126(2), 140(3), 238 और 61(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. रितेश वर्मा को 15 अक्टूबर 2025

को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में थे. रितेश वर्मा की ओर से इससे पहले भी एक जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे 2 दिसंबर 2025 को मामला क्रमांक एमसीआरसी 53163/2025 में वापस लेने की अनुमति के साथ निरस्त कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने दूसरी नियमित जमानत अर्जी (एमसीआरसी 9179/2026) दायित्व की, जिस पर आज न्यायालय ने निर्णय सुनाया.रितेश वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर पांडे और

दीपांशु श्रीवास्तव ने तर्क रखते हुए कहा कि आवेदक केवल एसडीओपी पूजा पांडे का ड्राइवर था और उसने जो कुछ भी किया, वह अपनी ड्यूटी के हिस्से के रूप में किया. अदालत ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में जब तक आरोपी की भूमिका मुख्य नहीं होती, तब तक लंबी न्यायिक हिरासत उचित नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाए और अभियुक्तों के प्रति निष्पक्षता बरती जाए.



आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच और सिविलों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। विभागीय समन्वय पीएचई जल निगम और स्थानीय प्रशासन को आपसी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष श्री दीपक निगम, पीएचई विभाग के अधिकारी, जल निगम

के प्रतिनिधि और जल जीवन मिशन के समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

दुरुस्त करनी होगी पाइपलाइन

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों और तकनीकी खराबियों को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। हर घर जल का लक्ष्य विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल की पहुंच हो।

बैठक लखनादोन में गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत, जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

पानी की समस्या को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने ली बैठक

लखनादोन नवभारत । आगामी ग्रीष्मकाल को देखते हुए क्षेत्र में पेयजल की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है। गुरुवार, 26 फरवरी 2026 को जनपद पंचायत लखनादोन के सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकुंश डेहरिया की अध्यक्षता एवं एसडीएम लखनादोन की गरिमामयी उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी के निर्देशों का पालन करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की ताजगी, ग्रामीण क्षेत्रों से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जल

के प्रतिनिधि और जल जीवन मिशन के समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

दुरुस्त करनी होगी पाइपलाइन

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों और तकनीकी खराबियों को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। हर घर जल का लक्ष्य विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल की पहुंच हो।

सिवनी में ‘रन फॉर फन’ मैराथन 28 को, स्वच्छता के लिए दौड़ेगा शहर

सिवनी नवभारत । शहर में शहरी स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द रॉयल इंकोल द्वारा 28 फरवरी 2026, शनिवार को ‘रन फॉर फन स्वच्छता पर सामाजिक जागरूकता’ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन डॉ. यूसी मातुल्लेफेयर सोसाइटी के सहयोग से किया जा रहा है। मैराथन का शुभारंभ सुबह 7-00 बजे मिशन स्कूल ग्राउंड, सिवनी से होगा। निर्धारित मार्ग गणेश चौक, शक्रवर्ती, नेहरू रोड, नगर पालिका और छिंदवाड़ा चौक से होते हुए पुनः प्रारंभिक स्थल पर समाप्त होगा। आयोजकों ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में भागीदारी की अपील करते हुए इसे स्वच्छता एक गुण की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास बताया है। आयोजकों के अनुसार, जब नागरिक एक साथ किंग्सफॉर्मलक उद्देश्य के लिए आगे आते हैं, तो समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता का संदेश जाता है। उनका कहना है कि बदलाव केवल इंतजार करने से नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी से आता है। संस्था के प्राचार्य ने बताया कि यह पहल छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ सिवनी के संकल्प से जोड़ने का एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना भी है।

प्रशिक्षण महाभियान वैचारिक प्रतिबद्धता के निर्माण का अभियान : सुजीत जैन

सिवनी नवभारत । भाजपा जिला कार्यालय में सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संगठनात्मक कार्यों पर मंथन करते हुए प्रशिक्षण महाभियान 2026 के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारी सुजीत जैन ने कहा कि भाजपा केवल एक चुनावी संगठन नहीं, बल्कि विचारधारा आधारित आंदोलन है। कार्यकर्ताओं को नीति, संगठनात्मक संरचना,

जनसंघ के संस्कार, आईटी एवं सोशल मीडिया जैसे विषयों पर प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे समाज के बीच अधिक सक्रिय और सक्षम भूमिका निभा सकें। जिला अध्यक्ष दीपक टण्डन ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं में सेवा, समर्पण और संगठन विस्तार की भावना को सशक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं प्रशिक्षण महाभियान के जबलपुर संभाग के सह प्रभारी पीताम्ब टोपनानी ने कहा कि महाभियान 2026 का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में

वैचारिक प्रतिबद्धता का निर्माण करना है। यह अभियान 9 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता मंडल स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। संचालन अंकित तिवारी, आभार प्रदर्शन जिला कार्यालय मंत्री अम्बरजी वर्मा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर कटनी के पूर्व जिला संगठन प्रभारी संजय साहू का जिला भाजपा की ओर से विदाई सम्मान किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि बीते पांच वर्षों में कटनी जिले के कार्यकर्ताओं का जो स्नेह और सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ, वह उनके लिए अविस्मरणीय है और वे सदैव उसके ऋणी रहेंगे।